न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 206 / 2020
3. उनवान : सरकार जरिये, लोकेश कुमार मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक
बनाम
अज्ञात
4. निर्णय दिनांक : 27.09.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, श्री लोकेश कुमार मीणा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 24.11.2013 को शिकायत की जांच के लिये उचित मूल्य की दुकान नं. 42 पर पहुंचे। वहां से 100 मीटर की दूरी पर दो ड्रम लावारिस स्थिति में पाये गये जिनमें केरोसीन तेल भरा हुआ था। जिसे उचित मूल्य दुकानदार ने स्वयं का होने से इनकार कर दिया। इसलिये उचित मूल्य दुकान के स्थान पर लावारिस स्थिति में पाये जाने पर प्रथतदृष्टया किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा केरोसीन तेल की कालावाजारी करना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में उक्त केरोसीन को जब्त करने के उपरान्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी अज्ञात होने से उसका नाम, पता नहीं होने से नोटिस की तामील संभव नहीं थी। अप्रार्थी (अज्ञात) की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अप्रार्थी(अज्ञात) / अभिभाषक द्वारा कोई जवाब आदिनांक तक पेश नहीं किया गया। तत्पश्चात प्रकरण लम्बे समय तक नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी। इस पर भी अप्रार्थी(अज्ञात) / अभिभाषक अनुपस्थित रहे। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त वस्तुओं को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 27.09.2022 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 24.11.2013 को जब्त केरोसीन लावारिस स्थिति में उचित मूल्य की दुकान के नजदीक पाया गया। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम नहीं किया गया है। अज्ञात व्यक्ति द्वारा केरासीन तेल का अवैध क्रय विक्रय एवं भण्डारण कर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ(वितरण विनियमन) आदेश 1976 की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में फर्द जब्ती से जब्त वस्तुओं के संबंध में किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई दावा पेश नहीं करने, सन्तोषप्रद जवाब नहीं देने एवं कोई वैध दस्तावेज अप्रार्थी(अज्ञात) द्वारा प्रस्तुत नहीं करने पर प्रार्थी द्वारा जब्त 440 लीटर नीला केरोसीन तेल मय दो ड्रम को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।